राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,नागौर

[illegible] 12( ) [illegible] / 2016 / बैठक / 169 दिनांक : 18.1.16

बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 [illegible] Annexure-I जारी करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.1.2016 [illegible] का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1	जिला कलक्टर, नागौर	
2	अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर	(हस्ताक्षर)
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर	(हस्ताक्षर)
4	उप वन संरक्षक, नागौर	(हस्ताक्षर)

प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) की आज्ञा क्रमांक प.6(14)प्रसु / अनु–3 / 2008(2) दिनांक 14.2.201[illegible] [illegible] द्वारा जिला स्तरीय समिति में दो अनुसूचित जनजाति के नाम निर्देशन हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिस हेतु जिला [illegible] की आम बैठक दिनांक 19.12.2015 में विचार विमर्श किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि जिले में अनुसूचित [illegible] का सदस्य [illegible] जनजाति का कोई भी सदस्य [illegible] नहीं होकर नहीं आया है, तथा अनुसूचित जनजाति का सदस्य [illegible] जाना सम्भव नहीं है।

इस बैठक में उप वन संरक्षक नागौर ने अवगत कराया है कि जिले में में परम्परागत वन निवासी नहीं [illegible] [illegible] सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत किया गया है एवं अधिकार पत्र जारी किया जाना शेष नहीं है [illegible] सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ(1)विविध / उपस नागौर / 2012–13 / एसपी 1 दिनांक [illegible] द्वारा आदेश जारी किये गये थे।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि नागौर जिले में परम्परागत वन निवासी निवास नहीं करते हैं एवं इस आशय का प्रमाण पत्र आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को [illegible] [illegible] प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत Annexure-I जारी किये जाने हैं, जारी किये जावे।

(हस्ताक्षर)

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर,
नागौर

क्रमांक : सम. 170 – 198 दिनांक : 18.1.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / पालनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3), राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर।
4. उप वन संरक्षक, नागौर।
5. उपखण्ड अधिकारी .... (समस्त)।
6. विकास अधिकारी .... (समस्त)।

(हस्ताक्षर)

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
नागौर

Anil Kumar
(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer

Contact: 01582-241444 (O), 240830 (F) E-mail : dm-nag-rj@nic.in

Scanned by CamScanner